दिनांक 19.04.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदार पर हुआ एफआईआर

भिलाईनगर/प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास ''मोर जमीन मोर मकान'' के अंतर्गत मकान बनाने वाले ठेकेदार अविनाश मिश्रा के विरुद्ध एफआईआर छावनी थाने में दर्ज कराया गया। आयुक्त के0एल0 चौहान को निगम जनदर्शन में गिरधर लाल पटेल निवासी प्रगतिनगर केम्प–01 वार्ड 20 द्वारा शिकायत की गई कि बी.एल.सी. घटक ''मोर जमीन मोर मकान'' में मकान बनाने के लिए आवेदन किया गया था जो प्रक्रियाधीन था ठेकेदार मिश्रा द्वारा आकर घर में बताया गया कि आपके मकान के निर्माण मेरे द्वारा किया जायेगा मैं निगम का अधिकृत ठेकेदार हूं मुझे मकान निर्माण शुरु करना है कार्य करने के लिए 14 हजार रुपये दीजिए। आवेदक द्वारा प्रबंध करके जून 2017 में दिया गया।

आवेदक द्वारा बार–बार सम्पर्क करने के बाद ठेकेदार द्वारा मकान बनाना शुरु नहीं किया गया जबकि आवेदक गिरधर पटेल का मकान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरुप सहीं नहीं पाये जाने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। निगम के कार्यपालन अभियंता एस0पी0 साहू को जांच करने के लिए निगम आयुक्त श्री चौहान द्वारा अधिकृत किये गये जिसपर आवेदक का शिकायत सहीं पाया गया। ठेकेदार द्वारा निगम भिलाई को बदनाम किया जा रहा था कि पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा है नक्शा नहीं बन रहा है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य विशेष प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

आयुक्त के0एल0 चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत मकान बनाने वाले अन्य हितग्राहियों से अपील की है कि किसी भी ठेकेदार को मकान बनाने के लिए रुपये न देंवे जब तक निगम का स्वीकृत नक्शा प्रपत्र सहित नहीं मिल जाता है। निगम भिलाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने वाले सभी ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि सभी मकानों को समय सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ बनाकर हितग्राही को देवें। मकान बनाने में विलंब करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

जन सम्पर्क विभाग